

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या:—१३१३/एम०-एन०जी०टी०-वाद फतेहपुर/2024

दिनांक १० फरवरी, 2025

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-959/2024 लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-959/2024 लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् है:—

"5. Respondent no.3 is also directed to file additional reply by way of his own affidavit regarding site inspections conducted by the District Mining Officer during the lease period in compliance with the guidelines issued by MoEF & CC, CPCB and UPPCB and directions given by this Tribunal in respect of sand mining along with copies of inspection reports with requisite details regarding the compliance/non-compliance observed and action initiated regarding non-compliance.

6. Additional replies by respondents no. 6 and 3 as mentioned above be filed at least three days before the date of hearing fixed.

7. Interim order dated 16.12.2024 will continue till further orders to the contrary.

8. List on 21.02.2025 for further consideration."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.01.2025 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की ओर से अनुपालन आख्या/शपथ पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में शपथ-पत्र तैयार/हस्ताक्षरित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शपथ पत्र में वर्णित स्थिति से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीया,



(माला श्रीवास्तव)

निदेशक।

संख्या:— 1313 /एम०-एन०जी०टी०-वाद फतेहपुर/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:—श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को कृत कार्यवाही के विवरण इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में नियत तिथि व समय पर मा० अधिकरण में उपस्थित होकर राज्य सरकार की ओर से आवश्यक पैरवी करने का कष्ट करें।

(माला श्रीवास्तव)

निदेशक।

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 959/2024

IN THE MATTER OF:

LAV MISHRA



.... APPLICANT

VS

STATE OF UP & ORS.

.... RESPONDENT

**AFFIDAVIT OF DIRECTOR, GEOLOGY AND MINING,
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF
ORDER DATED 21-01-2025 PASSED BY THIS HON'BLE
TRIBUNAL**

I, Mala Srivastava, Aged about 44 Years, Presently posted as Director, Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am duly authorized to file the present affidavit. The deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 21.01.2025, was pleased to issue following directions

"5. Respondent no.3 is also directed to file additional reply by way of his own affidavit regarding site



inspections conducted by the District Mining Officer during the lease period in compliance with the guidelines issued by MoEF& CC, CPCB and UPPCB and directions given by this Tribunal in respect of sand mining along with copies of inspection reports with requisite details regarding the compliance/non-compliance observed and action initiated regarding non-compliance.....”

3. That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 21.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

4. On the basis of report dated 19.02.2025 submitted by District Mines Officer Fatehpur, it is submitted that the inspections/inquiries conducted by the District Mines officers, Fatehpur in the respect of mining lease in question, granted in favour of Respondent No.6 (Project Proponent M/s R.B. Enterprises) for a period of five years [07.05.2022 till 06.05.2027] on gata nos. 64 to 69, 83 to 91, 108 to 112, 115to 121, 141to 149, 161, 162, 167, 168, 183 to 186, 202 to 210, 234 to 245, 301 to 313, 383 to 390, 395 to 402, 409 to 412, 417 to 423, 463, 464, 587/471, 471 to 475, 499, 500, 505 to 510, 537 to 544, 561 to 565, 577 to 579, 585, 586 situated at Urauli, district Fatehpur admeasuring area of 50 hectares, irregularities found and action taken thereof is detailed below **Annexure**

- R 1(colly):

S. N.	Name of Investigating Officer/Date of Investigation	Irregularities found in mining area during inspection	Details of show cause notice issued by the office based on the inspection report	Violation of rule as per the act committed by the lessee	The amount of penalty and other amounts imposed in


h

					relation to the amount of penalty/fine contained in the notice as per the violation
1	2	3	4	5	6
1.	Mr. Rajesh Kumar, Mines Officer 27.12.2022	During checking, 17 vehicles were found carrying more than the prescribed capacity/without transport documents	Letter No.-16/30-Khanij (2022-2023) dated 07.01.2023	violation of Rule-60(6) of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	4,25,000/-
2.	Mr. Rajesh Kumar, Mines Officer 28.02.2023	Carrying out mining work even after water level has come down is a violation of Rule-42 (h)(1) of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	Letter No.-211/Khanij (2022-2023) dated 28.03.2023	violation of Rule-60(4) of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	5,00,000/-
3.	Mr. Raj Ranjan Kumar, Mines Officer 17.06.2023	Outside the approved area, 60x40x1=2400 cubic meters and 58x42x1=2436 cubic meters, a total of 4836 cubic meters of sand was illegally mined, which is in violation of Rule-3, 58 and 72 of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021. A total of 06 vehicles were found transporting sub-minerals in excess of the prescribed capacity on the road outside the approved area, on which online challan was done through M-Check. The said act is in violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021 Rule-60 (6)	letter no. 456/ Khanij/2023/ Urauli dated 27.06.2023	violation of Rule-3, 58, 72 and 60(6) of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	Royalty and mineral value Rs.-43,52,400/- Penalty Rs.-5,00,000/- Rs.-1,50,000/- from 06 vehicles for violation of loading norms
4.	Mr. Raj Ranjan Kumar, Mines Officer 23.06.2023	01 pillar was found fallen. Rule-36 (1) of Uttar Pradesh Minor Minerals(Concession) Rules-2021 is violated as the boundary pillar was not maintained in the approved mining area. 04 vehicles were found transporting minor-minerals in excess of the prescribed capacity, which is a violation of Rule-60 (6)	letter no. 461/ Khanij /2023/ Urauli dated 30.06.2023	violation of Rules-60 (3) and 60 (6) Uttar Pradesh Minor Minerals(Concession) Rules-2021	Rs.25,000/- for not maintaining boundary pillars Rs.1,00,000/- from 04 vehicles for violating loading norms
5.	Mr. Raj Ranjan Kumar, Mines Officer	Boundary pillars were not found maintained in the approved area, which is a violation of Rule-36(1) of Uttar Pradesh Minor	Letter No. 86/ Khanij /kha. pa./Urauli 2024 dated 18.01.2024	violation of Rules-60 (3) and Rule-3, 58, 72 of Uttar Pradesh Minor Minerals	Rs. 25,000/- for not maintaining boundary pillars



h

	02.01.2024	Minerals (Concession) Rules-2021. PTZ camera was not found functional, which is a violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021 Rules-36(2). A total of 113 cubic meters of sand was found illegally mined outside the approved area, which is a violation of Rule-3, 58, 72 of violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021		(Concession) Rules-2021	Rs. 25,000/- for not functioning PTZ camera Royalty and mineral value Rs. 1,01,700/- Penalty Rs. 5,00,000/-
6.	Mr. Bipendra Kumar Rajbhar, Mines Inspector 10.02.2024	Boundary pillars were not found maintained in the approved area, which is a violation of Rule-36 (1) of violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021. A total of 1000 cubic meter of sand has been illegally mined/transported at a depth of 01 meter in 1000 square meters outside the approved area, which is a violation of Rule-3, 58, 72 of violation of Uttar Pradesh Minor Minerals(Concession) Rules-2021.	Letter No. 236/ Khanij /kha. pa./Urauli 2024 dated 19.02.2024	violation of Rules-60 (3) and Rule-3, 58, 72 of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	For not maintaining boundary pillars Rs.- 25,000/- Royalty and mineral value Rs.- 9,00,000/- Penalty Rs.- 5,00,000/-
7.	Mr. Bipendra Kumar Rajbhar, Mines Inspector 21.02.2024	Carrying out mining operations even after the water level has risen is a violation of Rule 42 (h)(1) of the violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021.	Letter No. 268/ Khanij/kha. pa./Urauli 2024 dated 24.02.2024	violation of Rules-60 (4) of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	For carrying out mining work after water level has come Rs. 5,00,000/-
8.	Mr. Bipendra Kumar Rajbhar, Mines Inspector 19.03.2024	Boundary pillars were not found maintained in the approved area, which is a violation of Rule-36 (1) violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021, Carrying out mining work even after water level has risen is a violation of Rule-42 (h)(1) of violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	Letter No. 436/ Khanij/kha. pa./Urauli 2024 dated 04.04.2024	violation of Rules-2021 Rules-60 (3) and (4) of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession)	For not maintaining boundary pillars Rs.- 25,000/- For carrying out mining work after water level has risen Rs.- 5,00,000/-
9.	Mr. Bipendra Kumar Rajbhar, Mines Inspector and then Mr. Saurabh	Due to illegal mining of total quantity of 644.80 cubic meter sand/morrum outside the approved area, there is violation of Rule-3, 58, 72 of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-	Letter No. 435/ Khanij/kha. pa./Urauli 2024 dated 04.04.2024	violation of Rules-3, 58, 72 of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules-2021	Royalty and Mineral Value Rs.- 5,80,320/- Penalty Rs.- 5,00,000/-



h

Gupta Mining Officer 30.03.2024	2021				
Total					1,02,34,420/-

According to the UPMDSS portal, ^{NOTIARY} an online notice ^{NOTIARY} was issued as per the following details, in respect of which the lessee did not deposit any amount nor did he submit any reply, the details of which are following:

S. No	Item Description	Details				
		Lease ID	No. of Volume Mismatch Notices	No. of Notices without E-MM- 11	Outstanding Amount of Volume Mismatch Notices	Outstanding Amount of Notices Without E-MM- 11
1	2	3	4	5	6	7
1.	Online notice of volume mismatch and without E-MM-11 on UPMDSS portal	314322070126	25	143	1,07,793/-	38,50,000/-
		314323070179	12	401	73,530/-	1,00,75,000/-
Total			37	544	1,81,323/-	1,39,25,000/-
Grand Total (Column No. 6 & 7)					1,41,06,323/-	

Due to the above violations and non-payment of dues, the District Magistrate, under the powers conferred in Rule-59 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules-2021, has vide order no. 1054/Mineral/Kh.P./Urauli/2024 dated 11.07.2024 cancelled the mining lease .

After the cancellation of the mining lease, due to non payment of dues and charges in the time given, recovery certificate No.-1525/KHANIJ/Kh.P./recovery certificate letter Urauli/ 2024 dated 08.11.2024 has been issued.

5. That the deponent undertakes before this Hon'ble Tribunal that all earnest efforts are being undertaken within State of Uttar Pradesh to ensure that the mining operations are strictly carried out by the lease holders/project proponents in accordance with the UP Minor Mineral Concessions Rules

h

and the Environment norms are duly followed. Further the State Government undertakes before this Hon'ble Tribunal that it will leave no stone unturned in ensuring that prompt and strict penal action is taken as per the provision of law against any person involved in illegal mining/transportation.



DEPONENT

VERIFICATION

Verified at.....^{NOTARY} Xko....., on.....^{NOTARY} 20/2/25..... that the contents of the paras 1 to ^{NOTARY} 5 of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT

Sworn and Verified
before me.
20/2/25
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10643/15

I know & identify the deponent/Executive
who has signed/put his T.L. before me

Adv
S. Iqbal Advocate
* Reg. No. 6043/1999
Adv LCO



प्रेषक,
खान अधिकारी,
फतेहपुर।
सेवा में,
निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ०प्र०)
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रांक 161 / खनिज/एन०जी०टी०/2024-2025

दिनांक 19 / 02 / 2025


विषय- ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 959 / 2024 लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 के सम्बन्ध मे।

महोदया,


कृपया निदेशालय के पत्र सं०-2309/एम०-एन०जी०टी०-वाद फतेहपुर/2024 दिनांक 18.02.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 959 / 2024 लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 के क्रम में प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र मे पट्टा अवधि के दौरान जनपदीय खान अधिकारियों द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षणों की आख्या, उनमे पायी गयी अनियमितताओं व की गयी कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में सानुरोध अवगत कराना है कि खनन पट्टा संचालन अवधि के दौरान खनन पट्टाधारक द्वारा की गई अनियमितताएं एवं उसके क्रम में उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 मे प्राविधानित नियमों के तहत कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

क्र	जाँचकर्ता अधिकारी का नाम/जाँच का दिनांक	जाँच के दौरान खनन क्षेत्र मे पायी गयी अनियमितता	जाँच आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस का विवरण	पट्टाधारक द्वारा किये गये कृत्य के अनुसार नियम का उल्लंघन	उल्लंघन के अनुसार नोटिस मे निहित शारित/जुर्माना की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान मे आरोपित शारित व अन्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेश कुमार, खान अधिकारी 27.12.2022	जाँच के दौरान 17 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक/बिना परिवहन प्रपत्र के पाये गये	पत्र सं०-16/30-खनिज (2022-2023) दिनांक 07.01.2023	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6)	4,25,000/-
2.	श्री राजेश कुमार खान अधिकारी 28.02.2023	जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ०प्र० खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन है	पत्र सं०-211/ खनिज (2022-2023) दिनांक 28.03.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(4) का उल्लंघन है	5,00,000/-
3.	श्री राज रंजन कुमार खान अधिकारी 17.06.2023	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 60X40X1=2400 घ०मी० एवं 58X42X1=2436घ०मी० कुल 4836घ०मी० बालू/मोरम का अवैध	कार्यालय पत्र सं०-456/ खनिज/2023/उरौली दिनांक 27.06.2023 द्वारा	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58,	रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु०- 43,52,400/-



		खनन किया गया, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58 व 72 का उल्लंघन है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रास्ते में कुल 06 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज परिवहन करते हुये पड़े गये, जिन पर एम-चेक के मायम से आनलाइन चालान किया गया। उक्त कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियम-60 (6) का उल्लंघन है।	कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	72 व 60(6) का उल्लंघन है	शास्ति रु0-5,00,000/- लोडिंग सन्नियों के उल्लंघन पर 06 वाहनों से रु0-1,50,000/-
4.	श्री राज रंजन कुमार खान अधिकारी 23.06.2023	01 पिलर गिरा हुआ पाया गया। स्वीकृत खनन क्षेत्र में सीमा स्तम्भ का अनुरक्षण नहीं किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 (1) का उल्लंघन है। 04 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज का परिवहन करते हुये पाये गये, जो नियम-60 (6) का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0-461/ खनिज/2023/उरौली दिनांक 30.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-60 (3) व 60(6) का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नहीं करने पर रु0-25,000/- लोडिंग सन्नियों के उल्लंघन पर 04 वाहनों से रु0-1,00,000/-
5.	श्री राज रंजन कुमार खान अधिकारी 02.01.2024	स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है। पी0टी0जेड0 कैमरा क्रियाशील नहीं पाया गया, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-36(2) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर कुल 113घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0-461/ खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-60 (3) व नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नहीं करने पर रु0-25,000/- पी0टी0जेड0 कैमरा क्रियाशील नहीं होने पर रु0-25,000/- रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0-1,01,700/- शास्ति रु0-5,00,000/-
6.	श्री दिनेन्द्र कुमार राजमर, खान निरीक्षक 10.02.2024	स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 (1) का उल्लंघन है, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 1000क्वायर मीटर में 01 मीटर की गहराई में कुल 1000घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0-236/ खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 19.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-60 (3) व नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नहीं करने पर रु0-25,000/- रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0-9,00,000/- शास्ति रु0-5,00,000/-




7.	श्री बिपेन्द्र कुमार राजभर, खान निरीक्षक 21.02.2024	जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं०-268/ खनिज/ख०प०/उरौली 2024 दिनांक 24.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-60 (4) का उल्लंघन है	जलस्तर आने के उपरान्त खनन कार्य किये जाने के आरोप में ₹०-5,00,000/-
8.	श्री बिपेन्द्र कुमार राजभर, खान निरीक्षक 19.03.2024	स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये, जो उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 (1) का उल्लंघन है, जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ०प्र० खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42 (ज) का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं०-436/ खनिज/ख०प०/उरौली 2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-60 (3) व (4) का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नहीं करने पर ₹०-25,000/- जलस्तर आने के उपरान्त खनन कार्य किये जाने के आरोप में ₹०-5,00,000/-
9.	श्री बिपेन्द्र कुमार राजभर, खान निरीक्षक एवं श्री सौरभ गुप्ता, खान अधिकारी 30.03.2024	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल मात्रा 644.80 घ०मी० बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने के कारण उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं०-435/ खनिज/ख०प०/उरौली 2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-3, 58, 72 का उल्लंघन है	रायल्टी एवं खनिज मूल्य ₹०-5,80,320/- शास्ति ₹०-5,00,000/-
योग					1,02,34,420/-

यू०पी०एम०डी०एस०एस० पोर्टल के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार आनलाइन नोटिस निर्गत की गई, जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गई और न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया, का विवरण निम्नवत् है :-

तालिका-4

क्र०	मद	विवरण				
		लीज आईडी	वालयुम मिसमैच नोटिसों की संख्या	विदआउट ई-एम०एम०-11 नोटिसों की संख्या	वालयुम मिसमैच नोटिसों की बकाया धनराशि	विदआउट ई-एम०एम०-11 नोटिसों की बकाया धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	यू०पी०एम०डी०एस०एस० पोर्टल पर वालयुम मिसमैच एवं विद आउट ई-एम०एम०-11 के आनलाइन नोटिस	314322070126	25	143	1,07,793/-	38,50,000/-
		314323070179	12	401	73,530/-	1,00,75,000/-
योग			37	544	1,81,323/-	1,39,25,000/-
कुल योग (कालम नम्बर-6 व 7)					1,41,06,323/-	

उपरोक्त उल्लंघन एवं अन्य बकाया धनराशि जमा नहीं करने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 में प्रदत्त अधिकारों के तहत मेसर्स आर०बी० इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर जिला बोंदा के पक्ष में स्वीकृत उक्त खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम उरौली को आदेश सं०-1054/खनिज/ख०प०/उरौली/2024 दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से निरस्त किया गया।




खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 11.07.2024 निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित समयावधि में आरोपित/बकाया धनराशि जमा नहीं किये जाने पर नियमानुसार वसूली प्रमाण पत्र सं०-1525/खनिज/ख०प०/उरौली/वसूली प्रमाण पत्र/2024 दिनांक 08.11.2024 निर्गत किया गया है।


उपरोक्तानुसार अभिलेखानुसार कृत कार्यवाही की आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:-जॉच आख्या, नोटिस, निरस्तीकरण आदेश।

भवदीय



(सौरभ गुप्ता)
खान अधिकारी,
फतेहपुर।



आख्या

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा, पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा के पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2022 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त स्वीकृत खनन क्षेत्र के रास्ते में उपखनिज लदे वाहनों की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.12.2022 को की गई, जिसमें 02 वाहन बिना प्रपत्र ई-एम0एम0-11 व 10 वाहन ई-एम0एम0-11 के साथ निर्धारित क्षमता से अधिक पाये गये। इसके अतिरिक्त अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु गठित टास्कफोर्स व अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर किये गये प्रवर्तन कार्य के दौरान 01 अन्य वाहन (वाहन चालक के बताये अनुसार) बिना प्रपत्र एम0एम0-11 के व 04 वाहन ई-एम0एम0-11 के साथ निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज लोडकर परिवहन करते हुये पाये गये, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं0	वाहन संख्या	जाँच में पायी गई अनियमितता
1.	UP34T8495	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
2.	UP42CT5638	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
3.	UP32LN6816	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
4.	UP35T9637	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
5.	UP32EN8359	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
6.	UP32QN1786	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
7.	UP42BT3869	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
8.	UP71T3807	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
9.	UP71T8753	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
10.	UP71T7323	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
11.	UP32FN2928	No Transit Pass (UP)
12.	UP32KN6820	No Transit Pass (UP)
13.	UP32KN5695	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
14.	UP71AT0381	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
15.	UP90T5909	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
16.	UP71AT1996	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
17.	UP71T7349	No Transit Pass (UP)

उपरोक्त तालिका के अनुसार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बिना वैध परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11 व ई-एम0एम0-11 के साथ निर्धारित मात्रा के अधिक उपखनिज बालू/मोरम का परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) के तहत लोडिंग सन्नियमों व खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

खान अधिकारी,
फतेहपुर।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुयाग)
(2022-2023)

दिनांक 01/01/2023

पत्रांक 16 /30-खनिज

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज,
निकट अतरा चुंगी चौकी कुशावाहा नगर बौदा,
पार्ट0 बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह,
निवासी मोहल्ला अतरा चुंगी शारत्री नगर थाना कोतवाली बौदा।

आपके पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उगेनी रकबा 50.00है0 में दिनांक 07.05.2022 से 08.05.20227 तक 05 वर्ष की अर्वाध हेतु खनन पट्टा स्वीकृत है।

उक्त स्वीकृत खनन क्षेत्र के रास्ते में उपखनिज लदे वाहनों की जांच दिनांक 27.12.2022 को की गई, जिसमें 02 वाहन बिना प्रपत्र ई-एम0एम0-11 व 10 वाहन ई-एम0एम0-11 के साथ निर्धारित क्षमता से अधिक पाये गये। इसके अतिरिक्त अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु गठित टास्कफोर्स व अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर किये गये प्रवर्तन कार्य के दौरान 01 अन्य वाहन (वाहन चालक के बताये अनुसार) बिना प्रपत्र एम0एम0-11 के व 04 वाहन ई-एम0एम0-11 के साथ निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज लोडकर परिवहन करते हुये पाये गये, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	वाहन संख्या	जांच में पायी गई अनियमितता
1.	UP34T8495	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
2.	UP42CT5638	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
3.	UP32LN6816	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
4.	UP35T9637	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
5.	UP32EN8359	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
6.	UP32QN1786	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
7.	UP42BT3869	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
8.	UP71T3807	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
9.	UP71T8753	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
10.	UP71T7323	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
11.	UP32FN2928	No Transit Pass (UP)
12.	UP32KN6820	No Transit Pass (UP)
13.	UP32KN5695	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
14.	UP71AT0381	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
15.	UP90T5909	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
16.	UP71AT1996	Transported Volume more than Transit Pass Volume (UP)
17.	UP71T7349	No Transit Pass (UP)

उपरोक्त तालिका के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बिना वैध परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11 व ई-एम0एम0-11 के साथ निर्धारित मात्रा के अधिक उपखनिज बालू/मोरम का परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) के तहत लोडिंग सन्नियमों व खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (6) में यह प्राविधानित है कि "जहाँ पट्टाधारक विहित लोडिंग सन्नियमों की पृष्टि करने में विफल हो जाय, वहाँ ऐसे प्रत्येक चूक की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रु0-25,000/- की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। उक्त शास्ति को जमा करने में विफल रहने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।"

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर इस बावत अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आप द्वारा किन परिस्थितियों में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बिना वैध परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11 व ई-एम0एम0-11 के साथ निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज बालू/मोरम का परिवहन कराया गया है। निर्धारित समयावधि में वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायगा, कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (6) के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपको होगा।

(राजेश कुमार)
खान अधिकारी
फतेहपुर।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी महोदया, फतेहपुर को अवलोकनार्थ।

16
13
14
15

6551750421N (UP:820555) 150047
R: 01/01/2023 (12:00:00)
D: 01/01/2023 (12:00:00)
To: 01/01/2023 (12:00:00)
From: 01/01/2023 (12:00:00)
At: 01/01/2023 (12:00:00)



01/01/2023
खान अधिकारी
फतेहपुर।



क्षेत्रीय निरीक्षण आख्या

दिनांक 28.02.2023 को तहसील सदर के ग्राम उरोली स्थित बालू/मोरम खण्ड सं०-उरोली रकबा 50.00हे० का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। उक्त बालू/मोरम खण्ड सं०-उरोली मेसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बोंदा, पार्ट० बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बोंदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 08.05.2022 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा विलेख में अंकित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के समय बालू/मोरम खण्ड की स्थिति निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड/पिलर-	बोर्ड व पिलर लगा पाया गया।
2.	वेब ब्रिज व कैमरा-	वे-ब्रिज व कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
3.	पी०टी०जेड० कैमरा	पी०टी०जेड० कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
4.	खनन हेतु प्रयुक्त मशीन	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए भी मशीन का प्रयोग कर सकता है, के तहत पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में मशीनों की सहायता से लोडिंग होते देखा गया।
5.	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति-	स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना पाया गया। उक्त क्षेत्र में ओवरवर्डन टीलो के रूप में है, जिसका निस्तारण किये जाने के निर्देश सम्बन्धित पट्टाधारक को दिये गये।
6.	अवैध खनन की स्थिति	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर/इतर कोई खनन कार्य नहीं पाया गया।
8.	अन्य विवरण-	स्वीकृत क्षेत्र में बालू/मोरम निकासी किये जाने के उपरान्त गड्ढे में पानी भरा हुआ है, स्वीकृत क्षेत्र में लोड खड़े वाहनों से पानी टपकना पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित पट्टाधारक द्वारा जलरत्तर से खनन कार्य किया गया है, पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

01/03/2023
खान अधिकारी,
फतेहपुर।



क्षेत्रीय निरीक्षण आख्या

दिनांक 17.06.2023 को तहसील सदर के ग्राम उरौली रिथत बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली रकबा 50.00हे० का निरीक्षण संयुक्तरूप से किया गया। उक्त बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली मेसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशावाहा नगर बोंदा, पार्ट० बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बोंदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2022 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा विलेख में अंकित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के समय बालू/मोरम खण्ड की स्थिति निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड/पिलर-	बोर्ड व पिलर लगा पाया गया।
2.	वेब ब्रिज व कैमरा-	वे-ब्रिज व कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
3.	पी०टी०जेड० कैमरा	पी०टी०जेड० कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
4.	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन देखा गया।
5.	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन की स्थिति-	पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 60X40X1= 2400 घ०मी० एवं 58X42X1=2436घ०मी० कुल 4836घ०मी० बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया, जो उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, व 72 का उल्लंघन है, उपरोक्त उल्लंघन के परिणामस्वरूप पट्टाधारक के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।
6.	अन्य विवरण-	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रास्ते में उप खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई, जाँच में कुल 06 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज परिवहन करते हुये पकड़े गये, जिन पर एम-चेक के माध्यम से आनलाइन चालान किया गया। पट्टाधारक द्वारा लोडिंग सन्नियमों का उल्लंघन किये जाने पर उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियम-60(6) के तहत कार्यवाही अपेक्षित है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

खास अधिकारी (संयुक्त)
फतेहपुर 17/06/23

अप जिलाधिकारी
फतेहपुर

5/7/06/23
संयुक्त निदेशक/
प्रभारी अधिकारी खनिज
क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज

San
Sprey
Akh

dh

lu



कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 456 /खनिज/2023/उरौली

दिनांक 27/06/2023

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज,
निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बोंदा,
पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह,
निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बोंदा।

आपके पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 मे दिनांक 07.05.2022 से 06.05.20227 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच (खान अधिकारी फतेहपुर, उप जिलाधिकारी सदर, संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज) द्वारा संयुक्तरूप से दिनांक 17.06.2023 को की गयी। आख्या दिनांक 17.06.2023 मे निम्न अनियमितताएं पायी गयी :-

क्र0	पायी गयी अनियमितता	आरोपित होने वाली शास्ति का विवरण
1	2	3
1.	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 60X40X1= 2400 घ0मी0 एवं 58X42X1=2436घ0मी0 कुल 4836घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, व 72 का उल्लंघन है,	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 4836 घ0मी0 बालू/मोरम के अवैध खनन के परिणामस्वरूप रायल्टी रु0-7,25,400/- खनिज मूल्य रु0-36,27,000/- कुल रु0- 43,52,400/- एवं उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-58 के तहत अन्यून दो लाख रुपये अधिकतम पाँच लाख रुपये।
2.	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रास्ते मे कुल 06 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज परिवहन करते हुये पकड़े गये, जिन पर एम-चेक के माध्यम से आनलाइन चालान किया गया। उक्त कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियम-60(6) का उल्लंघन है।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (6) के लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने मे विफल होने पर प्रत्येक चूक की दशा मे रु0-25,000/- कुल 1,50,000/-।

अतः जिलाधिकारी महोदया द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि जाँच के समय खनन क्षेत्र मे पायी गयी उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में 30 दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि मे आपके द्वारा उत्तर/स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह माना जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नही कहना है। तदनुसार उक्त कृत्यों के लिए आपके विरुद्ध उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के उक्त सुसंगत नियमों के तहत शास्ति का आरोपण कराते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

फतेहपुर।



स्थलीय निरीक्षण आख्या

मेसर्स आर0बी0इण्टरप्राइजेज निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा पार्टनर बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशोर सिंह नि0 मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु जनपद व तहसील फतेहपुर के ग्राम उरौली रकबा 50.00हे0 मे स्वीकृत बालू/मोरम खनन क्षेत्र का निरीक्षण संयुक्तरूप से दिनांक 23.06.2023 को किया गया। उक्त स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु निष्पादित खनन पट्टा विलेख मे उल्लिखित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड/पिलर-	बोर्ड लगा हुआ तथा 01 पिलर गिरा हुआ पाया गया।
2.	वेब ब्रिज व कैमरा-	वे-ब्रिज व कैमरा लगा है व क्रियाशील है।
3.	पी0टी0जेड0 कैमरा	पी0टी0जेड0 कैमरा लगा है, जाँच के समय मौके पर संचालित/क्रियाशील पाया गया।
4.	स्वीकृत क्षेत्र मे खनन की स्थिति	जाँच के समय स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया।
5.	अवैध खनन की स्थिति	स्वीकृत क्षेत्र में खनन पाया गया।
6.	अन्य विवरण	04 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज का परिवहन करते हुए पाया गया जिनका एम चेक के माध्यम से आनलाइन चालान किया गया। पट्टाधारक द्वारा लोडिंग सन्नियमों का उल्लंघन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-60(6) के तहत कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खान अधिकारी,
फतेहपुर 24/06/23

उप जिलाधिकारी,
फतेहपुर। 24/06/23

अपर पुलिस अधीक्षक,
फतेहपुर। 27/06/23

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर (खनिज अनुभाग)

दिनांक 30/06/2023

पत्रांक 461 /खनिज/2023/उरौली
कारण बताओ नोटिस

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज,
निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा,
पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह,
निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा।

आपके पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 मे दिनांक 07.05.2022 से 06.05.20227 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जॉच टास्क फोर्स टीम द्वारा दिनांक 23.06.2023 को की गयी। प्रेषित जॉच आख्या मे निम्न अनियमितताएं पायी गयी :-

क्र0	पायी गयी अनियमितता	आरोपित होने वाली शास्ति का विवरण
1	2	3
1.	01 पिलर गिरा हुआ पाया गया। स्वीकृत खनन क्षेत्र मे सीमा स्तम्भ का अनुरक्षण नही किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन रु0-25,000/-
2.	04 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज का परिवहन करते हुये पाये गये।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (6) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक की दशा मे रु0-25,000/-

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जॉच के समय खनन क्षेत्र मे पायी गयी उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में 30 दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि मे आपके द्वारा उत्तर/स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह माना जायेगा कि इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है। तदनुसार उक्त कृत्यों के लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार शास्ति का आरोपण कराते हुये कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
फतेहपुर।



सेवा मे,

जिलाधिकारी,

फतेहपुर।

पत्रांक 27 / खनिज / रिपोर्ट / ख0प्र0 उरौली / 2024

दिनांक 04/01/2024

विषय:- ग्राम उरौली स्थित बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 की निरीक्षण आख्या।

महोदया,

दिनांक 02.01.2024 को तहसील सदर के ग्राम उरौली स्थित बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। उक्त बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा, पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा विलेख मे अंकित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के समय बालू/मोरम खण्ड की स्थिति निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड	बोर्ड लगा पाया गया।
2.	सीमा स्तम्भ	स्वीकृत क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 36 का उल्लंघन है।
3.	वेब ब्रिज व कैमरा-	वे-ब्रिज व कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
4.	पी0टी0जेड0 कैमरा	पी0टी0जेड0 स्थापित पाया गया, परन्तु क्रियाशील नहीं पाया गया, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 36 का उल्लंघन है।
5.	खनन हेतु प्रयुक्त मशीन	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) मे विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार मशीन की सहायता से लोडिंग तथा अनलोडिंग कर सकता है।
6.	अवैध खनन की स्थिति	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 10X15X.75 मीटर की गहराई मे कुल 113घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है।
7.	अन्य विवरण-	-

अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36, 3, 58, 72 के उल्लंघन के आरोप मे उक्त पट्टाधारक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

खान अधिकारी,
फतेहपुर।



कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 86 /खनिज/ख0प0/उरौली/2024

दिनांक 18/01/2024

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज,
निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा,
पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह,
निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा।

आपके पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.20227 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की जांच खान अधिकारी फतेहपुर द्वारा की गयी। जांच आख्या दिनांक 02.01.2023 के अनुसार निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र में निम्न अनियमितता पायी गयी :-

क्र0 सं0	पायी गयी अनियमितता	आरोपित होने वाली शास्ति का विवरण
1.	स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 का उल्लंघन है।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन रु0-25,000/-
2.	पी0टी0जेड0 कैमरा क्रियाशील नहीं पाया गया, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 का उल्लंघन है।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन रु0-25,000/-
3.	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर कुल 113घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन पाया गया, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है।	113घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन कर लिए जाने के कारण देय रायल्टी रु0-16,950/- खनिज मूल्य रु0-84,750/- रु0-1,01,700/- एवं नियम-3 के उल्लंघन पर नियम-58 के तहत शास्ति रु0-2 से 5 लाख तक

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर खनिज कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपके द्वारा साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उपरोक्त कृत्यों के लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) फतेहपुर।

Dial 18002666888 <Wear Masks. Stay Safe>

भारतीय न्याय



India Post

RUI04116017IN IVR:92B5104116017
RL FATEHPUR COURT SO <212601>
Counter No:1.20/01/2024.11:36
To:RB INDER FRIZES.ATARRA CHUNGI
PIN:210121, Baberu SO
From:DH.FTP
Wt:20oms.REG=17.0
Amt:25.96(Cash)Tax:3.96

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

सेवा मे,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रमारी अधिकारी खनिज
फतेहपुर।

454

महोदय,

दिनांक 10.02.2024 को तहसील सदर के ग्राम उरौली स्थित बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली रकबा 50.00हे० का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। उक्त बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली मेसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा, पार्ट० बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा विलेख मे अंकित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के समय बालू/मोरम खण्ड की स्थिति निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड	बोर्ड लगा पाया गया।
2.	सीमा स्तम्भ	स्वीकृत क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये, जो उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 36 का उल्लंघन है।
3.	वेब ब्रिज व कैमरा-	वे-ब्रिज व कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
4.	पी०टी०जेड० कैमरा	पी०टी०जेड० स्थापित एवं क्रियाशील पाया गया
5.	खनन हेतु प्रयुक्त मशीन	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) मे विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार मशीन की सहायता से लोडिंग तथा अनलोडिंग देखी गयी।
6.	अवैध खनन की स्थिति	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 1000स्क्वायर मीटर मे 01 मीटर की गहराई मे कुल 1000घ०मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जो उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है।
7.	अन्य विवरण-	-

अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36, 3, 58, 72 के उल्लंघन के आरोप मे उक्त पट्टाधारक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

10/02/2024

10/02/2024
खान निरीक्षक
फतेहपुर।

कृ० पत्रावली पर
नियमावली का नवाही हेतु
प्रस्तुत करें।
10/2/24



455

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 236 /खनिज/ख0प0/उरौली/2024

दिनांक 19/02/2024

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स आर0वी0 इण्टरप्राइजेज,
निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा,
पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह,
निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा।

आपके पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 मे दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच खान निरीक्षक फतेहपुर द्वारा की गयी। जाँच आख्या दिनांक 10.02.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र में निम्न अनियमितता पायी गयी :-

क्र0 सं0	पायी गयी अनियमितता	आरोपित होने वाली शास्ति का विवरण
1.	स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 का उल्लंघन है।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन रु0-25,000/-
2.	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 1000स्क्वायर मीटर में 01 मीटर की गहराई में कुल 1000घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है।	1000घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन कर लिए जाने के कारण देय रायल्टी रु0-1,50,000/-खनिज मूल्य रु0-7,50,000/- कुल रु0-9,00,000/-एवं नियम-3 के उल्लंघन पर नियम-58 के तहत शास्ति रु0-2 से 5 लाख तक

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर खनिज कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपके द्वारा साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उपरोक्त कृत्यों के लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रतिलिपि:-

- अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) फतेहपुर।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।



156

सेवा मे,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रभारी अधिकारी खनिज
फतेहपुर।

महोदय,

दिनांक 21.02.2024 को तहसील सदर के ग्राम उरौली स्थित बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली रकबा 50.00हे० का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। उक्त बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली मेसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा, पार्ट० बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा विलेख में अंकित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के समय बालू/मोरम खण्ड की स्थिति निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड	बोर्ड लगा पाया गया।
2.	सीमा स्तम्भ	स्वीकृत क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अनुरक्षित पाये गये।
3.	वेब ब्रिज व कैमरा-	वे-ब्रिज व कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
4.	पी०टी०जेड० कैमरा	पी०टी०जेड० स्थापित एवं क्रियाशील पाया गया
5.	खनन हेतु प्रयुक्त मशीन	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार मशीन की सहायता से लोडिंग तथा अनलोडिंग देखी गयी।
6.	खनन की स्थिति	स्वीकृत क्षेत्र में खनन होते देखा गया। स्वीकृत क्षेत्र में एक स्थान पर जलस्तर आने के उपरान्त भी खनन कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42 (ज) का उल्लंघन है, एवं इस उल्लंघन पर नियमावली-2021 के नियम-60 (4) के तहत रु०-5,00,000/-की शास्ति की देयता बनती है।

अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) के उल्लंघन के आरोप में उक्त पट्टाधारक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

San

Ans

#

ok

Bi
21/02/2024
खान निरीक्षक
फतेहपुर

k



470

सेवा में,
खान अधिकारी,
फतेहपुर।

महोदय,

दिनांक 19.03.2024 को तहसील सदर के ग्राम उरौली स्थित बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली रकबा 50.00हे० का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। उक्त बालू/मोरम खण्ड सं०-उरौली मेसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा, पार्ट० बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा विलेख में अंकित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के समय बालू/मोरम खण्ड की स्थिति निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड	बोर्ड लगा पाया गया।
2.	सीमा स्तम्भ	स्वीकृत क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नहीं पाये गये।
3.	वेब ब्रिज व कैमरा-	वे-ब्रिज व कैमरा संचालित व क्रियाशील पाया गया।
4.	पी०टी०जेड० कैमरा	पी०टी०जेड० स्थापित एवं क्रियाशील पाया गया
5.	खनन हेतु प्रयुक्त मशीन	उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार मशीन की सहायता से लोडिंग तथा अनलोडिंग देखी गयी।
6.	खनन की स्थिति	स्वीकृत क्षेत्र में खनन होते देखा गया। स्वीकृत क्षेत्र में एक स्थान पर जलस्तर आने के उपरान्त भी खनन कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42 (ज) का उल्लंघन है, एवं इस उल्लंघन पर नियमावली-2021 के नियम-60 (4) के तहत रु०-5,00,000/-की शास्ति की देयता बनती है।

अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) के उल्लंघन के आरोप में उक्त पट्टाधारक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

खान निरीक्षक
फतेहपुर।



473

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 436 / खनिज/ख0प0/उरौली/2024

दिनांक 04/04/2024

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज,
निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा,
पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह,
निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा।

आपके पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 मे दिनांक 07.05.2022 से 06.05.20227 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच खान निरीक्षक फतेहपुर द्वारा की गयी। जाँच आख्या दिनांक 19.03.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र मे निम्न अनियमितता पायी गयी :-

1. स्वीकृत क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।
2. स्वीकृत क्षेत्र में जल स्तर आने के बाद भी खनन कार्य किया जाना पाया गया, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन है।

उपरोक्त उल्लंघन के परिणामस्वरूप निम्न विवरण के अनुसार शास्ति आरोपित किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र0 सं0	पायी गयी अनियमितता	आरोपित की जाने वाली शास्ति की धनराशि
1.	स्वीकृत क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन रु0-25,000/-
2.	जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन।	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (4) के अन्तर्गत रु0-5,00,000/-

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जाँच आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र मे पायी गयी उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर खनिज कार्यालय मे प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि मे आपके द्वारा साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है। तदनुसार उपरोक्त कृत्यों के लिए आपके विरुद्ध नियम-60 (3) व (4) के अनुसार शास्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

fgr

h.m.

#z

w

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

11/12

निरीक्षण आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,

फतेहपुर।

महोदया,

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बौदा, पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बौदा के पक्ष में दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम ग्राम उरौली स्थित बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 का निरीक्षण राजस्व लेखपाल, खान निरीक्षक, फतेहपुर के साथ पट्टाधारक प्रतिनिधि गुड्डू प्रधान की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.03.2024 को किया गया।

खनन पट्टा विलेख में अंकित जियो-कोर्डिनेट्स के अनुसार उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के समय बालू/मोरम खण्ड की स्थिति निम्नवत् है :-

1.	बोर्ड	बोर्ड लगा पाया गया।
2.	सीमा स्तम्भ	स्वीकृत क्षेत्र के सीमा स्तम्भ अनुरक्षित पाये गये।
3.	पी0टी0जेड0 कैमरा	पी0 टी0 जेड0 लगा पाया गया।
4.	अवैध खनन की स्थिति	ग्राम उरौली के सीमा बिन्दु ए से डी की ओर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पिट के कोर्डिनेट A1-N-25°-48'-33.57" E-80°-28'-34.52", B1-N-25°-48'-32.92" E-80°-28'-33.70", C1-N-25°-48'-32.06" E-80°-28'-34.41" D1-N-25°-48'-32.59" E-80°-28'-35.13" में औसत लम्बाई व चौड़ाई 27.5X33.5X0.70 कुल 644.80घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है।

उपरोक्तानुसार जाँच आख्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

B.
खान निरीक्षक,
फतेहपुर।


खान अधिकारी,
फतेहपुर।



कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 435 /खनिज/ख0प0/उरौली/2024

दिनांक 04/04/2024

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज,
निकट अर्तरा चुंगी चौकी कुशवाहा नगर बॉदा,
पार्ट0 बीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह,
निवासी मोहल्ला अर्तरा चुंगी शास्त्री नगर थाना कोतवाली बॉदा।

आपके पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम उरौली बालू/मोरम खण्ड सं0-उरौली रकबा 50.00हे0 मे दिनांक 07.05.2022 से 06.05.20227 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच राजस्व लेखपाल, खान निरीक्षक फतेहपुर, खान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा की गयी। जाँच आख्या दिनांक 30.03.2024 के अनुसार निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र मे निम्न अनियमितता पायी गयी :-

1. ग्राम उरौली के सीमा बिन्दु ए से डी की ओर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पिट के कोर्डिनेट A1-N-25°-48'-33.57" E-80°-28'-34.52", B1-N-25°-48'-32.92" E-80°-28'-33.70", C1-N-25°-48'-32.06" E-80°-28'-34.41" D1- N-25°-48'-32.59" E-80°-28'-35.13" में औसत लम्बाई व चौड़ाई 27.5X33.5X0.70 कुल 644.80घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। आपका का उक्त कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन है। उपरोक्त उल्लंघन के परिणामस्वरूप निम्न विवरण के अनुसार शास्ति का आरोपण किया जाना है।

क्र0 सं0	पायी गयी अनियमितता	आरोपित होने वाली शास्ति का विवरण
1.	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल मात्रा 644.80 घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का उल्लंघन।	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर मात्रा 644.80 घ0मी0 बालू/मोरम के अवैध खनन के परिणामस्वरूप रायल्टी रु0-96,720/- खनिज मूल्य रु0- 4,83,600/- कुल रु0- 5,80,320/- एवं उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-58 के तहत अन्धून दो लाख रुपये अधिकतम पाँच लाख रुपये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जाँच के समय खनन क्षेत्र मे पायी गयी उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में 30 दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें, कि आप द्वारा किन परिस्थितियों में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया। यदि उक्त नियत अवधि मे आपके द्वारा उत्तर/स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उक्त कृत्यों के लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार शास्ति का आरोपण करते हुये कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

पत्रांक 435/436



जिलाधिकारी,
फतेहपुर।



	उत्तर प्रदेश शासन		कम सं
	परिचय पत्र		639
	अगस्त 2040	तक वैध	समूह क
	नाम MALA SRIVASTAVA		
	बैच 2009		
	संवर्ग N.A.S		
मुख्य स्वागत अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन			

*Job submission
before the Hon'ble Tribunal
20/2/25
M.S.R.*

निवास	जिलाधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर
रक्त समूह	A+
आपात दूरभाष	0522-2238308
	दूरभाष 9557639552
नियम	
<p>१ यह परिचय पत्र अखिल भारतीय है तथा सञ्चालन में प्रवेश करते समय सुरक्षा कर्मियों द्वारा माग करने पर इसको दिखाना आवश्यक है</p> <p>२ परिचय पत्र खाने पर चोरी या नष्ट होने की स्थिति में मुख्य रिसेप्शन आफिसर को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए</p> <p>३ सेवा निवृत्त अथवा पदत्याग या मान्य अवधि समाप्त होने पर इसे मुख्य रिसेप्शन कार्यालय को वापस करना अनिवार्य है।</p> <p>४ आपात स्थिति में उपरोक्त दूरभाष सं० पर सूचित किया जाना चाहिए</p>	

